राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

कमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/16/ 28202 दिनांक: 07/09/2016

आदेश

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 6.86 करोड है। इस 6.86 करोड में से राज्य की शहरी जनसंख्या, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1.70 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। राज्य में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है जबकि उपलब्ध जल मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। राज्य की वार्षिक वर्षा शुष्क गर्म पश्चिम क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से लेकर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 900 मिलीमीटर तक होती है। राज्य में सामान्यतया प्रत्येक 5 वर्ष में 3 वर्ष न्यून वर्षा/सूखे से प्रभावित होते है। बढते हुये शहरीकरण व औद्योगीकरण के कारण राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू, संस्थानिक व औद्योगिक जल की मांग की पूर्ति करना, राज्य के सामने एक चुनौती के समान है। आने वाले समय में यह चुनौती और बढेगी।

राज्य के शहरो में बढते हुई निर्माण गतिविधियों यथा पक्की सड़कें, पक्के फुटपाथ, भवन, उद्योग, संस्थान आदि के कारण शहर कंक्रीट के जंगल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं जिसके चलते मानसून के दौरान शहरी क्षेत्रो में परकोलेशन (Percolation) अत्यन्त न्यून और रनऑफ (Run Off) बढता जा रहा है। शहरी क्षेत्रो में प्राप्त वर्षा जल का अधिकतम भाग व्यर्थ बह जाता है। कभी–कभी कम समय में अधिक वर्षा होने (High Intensity Rainfall) से प्राप्त वर्षा जल के कारण बाढ की स्थिति पैदा हो जाती है और शहर के निचले क्षेत्रो (Low lying area) में स्थिति और भी बद्तर हो जाती है। शहर के निचले क्षेत्रो (Low lying area) में लम्बे समय तक पानी के भराव व ठहराव के कारण जान–माल का नुकसान भी होता है और कई बार क्षेत्र विशेष स्थिर व प्रवाहहीन जल से प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रो में वर्षा जल का समुचित उपयोग नही होता है, जिससे जहां एक ओर जलस्रोतों का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है वहीं दूसरी ओर वर्षा जल के जमाव से बाढ जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त परिस्थितियों से निपटने के लिये नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य को विभिन्न विभागों की योजनाओं में अनुमत निधियों एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवा कर सम्पादित किया जायेगा।

1. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) के मुख्य उद्देश्य

- विभिन्न वित्तीय संसाधनों (केन्द्रीय, राज्य, कॉर्पोरेट जगत, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन एवं जन सहयोग) के अभिसरण (Convergence) से जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का पुनरोद्धार कर जल संरक्षण की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना जिससे वर्षा के बेकार बहते बहुमूल्य जल को प्राणिमात्र के उपयोग हेतु संरक्षित किया जा सके।

- नगरवासियों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जनसहभागिता से कार्य सम्पादित कराना।

- नगर स्तर पर वार्डसभा/बोर्ड में जल की समग्र आवश्यकता यथा घरेलू पेयजल, उद्योग व अन्य संस्थानिक/व्यवसायिक कार्यो हेतु आंकलन कर उपलब्ध समस्त स्त्रोतों से उपलब्ध जल के अनुरूप जल बजट का निर्माण कर उसी के अनुरूप कार्यो का चिन्हीकरण करना एवं प्रस्ताव पारित कर मिशन आधार पर नगर जल संरक्षण कार्य योजना तैयार करना।

- नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रकार के भवनों (निजी, सरकारी, आवासीय, संस्थानिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि) में वर्षा जल संरक्षण हेतु रूफ टॉप रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरर्स (RTWHS) का निर्माण करना तथा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं सिवेज/आद्यौगिक अवशेष प्रवाह) के परिशोधन/पुर्नचक्रण/प्रबंधन कर पुनः उपयोग में लेने हेतु व्यवस्था करना।

- जोन/वार्ड/कॉलोनी/शहर को इकाई मानते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर जल, जमीन, जन एवं जानवर का समग्र विकास करना।

- राज्य के शहरों में घरेलू उपयोग हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता है और औसत उपलब्धता 74 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्र है। इस अन्तर को कम करते हुए शहर को जल आत्म निर्भर बनाकर पेयजल समस्या का स्थाई समाधान करना।

- जल संग्रहण एवं संरक्षण कर औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान जल समस्या की संभावनाओं को कम करना व वांछित जल उपलब्ध कराने हेतु उपक्रम करना।

2. अभियान का कार्य क्षेत्र

राजकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थान, कॉर्पोरेट सोशियल रेस्पोन्सिब्लिटी (CSR), जनसहभागिता, स्थानीय जन प्रतिनिधि, नॉन रेजिडेन्ट सिटिजन्स क्लब (NRI Club), रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त/उपलब्ध निधियों से जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य सम्पादित कर उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग करते हुये वार्ड/जोन/कॉलोनी/शहरवार वाटर बजटिंग कर जल का स्थाई समाधान किया जाना। प्रदेश के 190 शहरों में चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता क्रम अनुसार कार्य करवाये जाएंगे।

3. कार्य अवधि

- "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य अवधि जून 2019 तक रहेगी।
- प्रथम चरण में नवम्बर, 2016 से प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य 30 जून, 2017 तक पूर्ण किए जाऐंगे तथा जिन शहरों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या अधिक है, उनमें ये कार्य (बावडी, राजकीय भवनों में रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण कार्य आदि को छोडकर) आगामी चरणों में भी चलेंगे। प्रथम चरण में चयनित शहर जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या अधिक है में बावडी, राजकीय भवनों में रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण कार्य आदि के जीर्णोद्वार /नवीनीकरण/ मरम्मत कार्य 30 जून 2017 तक पूर्ण किए जाऐंगे। इसी प्रकार आगामी वर्षों में 30 जून, 2018 व 30 जून, 2019 तक सभी शहरों में कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। केवल विशेष परिस्थिति में ही जिला समिति की स्वीकृति पर आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

स्वीकृत राशि के अनुरूप नगर कार्य निर्देशिका अथवा जिला समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा ही कार्य पूर्ण कराने की अवधि रहेगी।

4. राज्य जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) का कियान्वयन

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जल स्वावलम्बन अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं भूगर्भ और सतही जल के इष्टतम एवं पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंध के उद्देश्य से विभिन्न स्तरीय निम्न समितियों का गठन किया जाता है :–

4.1 जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) राज्य स्तरीय समिति :–

1.	माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
3.	माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी एवं भू–जल विभाग	सदस्य
4.	माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग	सदस्य
5.	माननीय मंत्री वित्त विभाग	सदस्य
6.	माननीय मंत्री उद्योग विभाग	सदस्य
7.	माननीय मंत्री तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	माननीय मंत्री स्कूल व माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
9.	माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
10.	माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
11.	माननीय मंत्री आयोजना विभाग	सदस्य
12.	माननीय मंत्री राजस्व विभाग	सदस्य
13.	माननीय मंत्री कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
14.	माननीय मंत्री गोपालन विभाग	सदस्य
15.	माननीय मंत्री पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	सदस्य
16.	माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण	सदस्य
17.	मुख्य सचिव	सदस्य
18.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
19.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
20.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
21.	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
22.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
23.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
24.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
25.	प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू जल विभाग	सदस्य
26.	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
27.	शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	सदस्य
28.	शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
29.	शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
30.	शासन सचिव, पशुपालन एवं गौपालन	सदस्य
31.	दो विषय विशेषज्ञ, (एक भू–जल एवं एक जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी (PHE) कार्य)	सदस्य
32.	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति के कार्य :
मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश, नीति निर्धारण एवं समीक्षा करना।

4.2 राज्य निर्देशन समिति :–

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होगें :–

1	अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	मुख्य सचिव, राजस्थान	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
5	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
8	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
9	प्रमुख शासन सचिव,स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
10	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
11	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
12	प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू जल विभाग	सदस्य
13	शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
14	शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	सदस्य
15	शासन सचिव, देवस्थान विभाग	सदस्य
16	शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
17	शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
18	शासन सचिव, पशुपालन एवं गौपालन विभाग	सदस्य
19	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
20	दो विषय विशेषज्ञ, (एक भू–जल एवं एक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्य)	सदस्य
21	निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य सचिव

राज्य निर्देशन समिति के कार्य :

1. नीति निर्धारण के संबंध में सलाह देना।
2. मिशन के उददे्श्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति तैयार करना।
3. नगर कार्य योजना तैयार करने हेतु सलाह देना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण (convergence of funds) सुनिश्चित करवाना।
5. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु अभियान का समुचित प्रबंधन एवं समीक्षा करना।
6. कियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।
7. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यो हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों का उपयोग में लेने हेतु आवश्यक प्रयास एवं निर्देशित करना।
8. मिशन के उददे्श्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
9. जिला स्तर पर अभियान की समुचित आईईसी गतिविधियों एवं कार्यो के त्वरित सम्पादन हेतु जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करना।
10. कार्यो के मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र ऐजेन्सी की व्यवस्था करना (यदि आवश्यक हो तो)।
11. मिशन की समीक्षा हेतु समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जायेगी।

4.3 जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) टास्क फोर्स :–

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। टास्क फोर्स द्वारा ''मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी)'' की कार्य योजना, विभिन्न विभागों के कार्यो में अभिसरण एवं कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। इस टास्क फोर्स में निम्नानुसार सदस्य होगे :–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
8	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
9	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
10	प्रमुख शासन सचिव,उद्योग विभाग	सदस्य
11	प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू जल विभाग	सदस्य
12	शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	सदस्य
13	शासन सचिव, देवस्थान विभाग	सदस्य
14	शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
15	शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
16	शासन सचिव, पशुपालन एवं गौपालन विभाग	सदस्य
17	संभागीय आयुक्त, समस्त	सदस्य
18	क्षेत्रीय निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, समस्त	सदस्य
19	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
20	निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य सचिव

टास्क फोर्स के कार्य :

1. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना।
2. मिशन के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण (convergence of funds) सुनिश्चित करवाना एवं अभियान की प्रगति की समीक्षा करना।

4.4 जिला प्रभारी मंत्री स्तर पर कार्यो की समीक्षा :–

जिले के प्रभारी मंत्री मिशन की नियमित समीक्षा करेगें। इस हेतु संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नानुसार समीक्षा समिति की गठन किया जाता है :–

1	जिले के प्रभारी मंत्री, सम्बन्धित जिला	अध्यक्ष
2	मेयर/सभापति/अध्यक्ष (नगरीय निकाय), सम्बन्धित जिला	सदस्य
3	जिले के विधायकगण, सम्बन्धित जिला	सदस्य
4	जिला कलक्टर, सम्बन्धित जिला	सदस्य
	जिला स्तर पर पदस्थापित विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी	
5	नगरीय विकास विभाग	सदस्य
6	स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
7	जन स्वा. अभि. विभाग	सदस्य
8	भूजल विभाग	सदस्य
9	जल संसाधन विभाग	सदस्य
10	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
11	उद्योग विभाग	सदस्य
12	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
13	पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	सदस्य
14	देव स्थान विभाग	सदस्य
15	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
16	कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
17	शिक्षा विभाग(प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च व तकनीकी शिक्षा)	सदस्य
18	आयोजना विभाग	सदस्य
19	सांख्यिकी विभाग	सदस्य
20	आरयूआईडीपी (आरयूडीएसआईसीओ)	सदस्य
21	एनआरएचएम	सदस्य
22	आयुक्त, नगर निगम/परिषद	सदस्य सचिव

जिला प्रभारी स्तर पर गठित समीक्षा समिति के कार्य :

1. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु निगरानी एवं समीक्षा करना।
2. मिशन के कार्यो के सम्पादन हेतु विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता उत्पन्न करते हुये आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यो हेतु निधियों की उपलब्धता एवं इसके इष्टतम उपयोग की समीक्षा करना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप चयनित क्षेत्रों में राशि के अभिसरण (convergence of funds) में आ रही कठिनाईयों का निवारण/सरलीकरण करना।
5. स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम की सफलता हेतु सतत प्रयास करना।

प्रभारी सचिव इस कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रभारी मंत्री का सहयोग करेगे।

4.5 जिला स्तरीय समिति :–

जिला स्तर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) की कार्य योजना के कियान्वयन तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विषय विशेषज्ञों को मनोनीत करने का अधिकार जिला कलक्टर को होगा। जिला स्तरीय समिति में निम्नानुसार सदस्य होगे :–

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
	विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी	
3	स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
4	नगरीय विकास विभाग	सदस्य
5	जन स्वा. अभि. विभाग	सदस्य
6	भूजल विभाग	सदस्य
7	जल संसाधन विभाग	सदस्य
8	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
9	उद्योग विभाग	सदस्य
10	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
11	पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	सदस्य
12	देव स्थान विभाग	सदस्य
13	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
14	कृषि विभाग	सदस्य
15	पशुपालन विभाग	सदस्य
16	उद्यान विभाग	सदस्य
17	शिक्षा विभाग(प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च व तकनीकी शिक्षा)	सदस्य
18	आयोजना विभाग	सदस्य
19	सांख्यिकी विभाग	सदस्य
20	दो पंजीकृत गैर सरकारी संस्थायें (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
21	दो विषय विशेषज्ञ (एक भू–जल व एक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्य)	सदस्य
22	आयुक्त, नगर परिषद/निगम	सदस्य सचिव

समिति के कार्य :

1. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रबंधन एवं समीक्षा करना।
2. राज्य निर्देशन समिति एवं टास्क फोर्स को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यो हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों के उपयोग हेतु व्यवस्था करना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण (convergence of funds) सुनिश्चित करवाना।
5. जिला कार्य योजना से मिशन के लिये उपलब्ध राशि में से कार्य स्वीकृत करना।
6. मिशन की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा–निर्देशों हेतु समिति की पाक्षिक बैठक आयोजित करना।

4.6 नगर स्तरीय समिति :–

नगर स्तर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) की कार्य योजना के कियान्वय हेतु जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में नगर स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होगें :–

1	जिला कलक्टर (संभाग स्तर के शहरों हेतु)	अध्यक्ष
2	उपखण्ड अधिकारी (संभाग स्तर के शहरों के अतिरिक्त)	अध्यक्ष
3	जिला जन सम्पर्क अधिकारी (केवल वे शहर जहां जिला मुख्यालय हो)	सदस्य
	विभागों के नगर स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी	
4	स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
5	नगरीय विकास विभाग	सदस्य
6	जन स्वा. अभि. विभाग	सदस्य
7	भूजल विभाग	सदस्य
8	जल संसाधन विभाग	सदस्य
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
10	उद्योग विभाग	सदस्य
11	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
12	पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	सदस्य
13	देव स्थान विभाग	सदस्य
14	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
15	कृषि विभाग	सदस्य
16	पशुपालन विभाग	सदस्य
17	उद्यान विभाग	सदस्य
18	शिक्षा विभाग(प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च व तकनीकी शिक्षा)	सदस्य
19	दो पंजीकृत गैर सरकारी संस्थायें (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
20	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद / पालिका	सदस्य सचिव

समिति के कार्य :

1. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रबंधन एवं समीक्षा करना।
2. जिला स्तरीय समिति को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित करना।

5. कार्य योजना तैयार करने हेतु नगर स्तरीय समिति द्वारा अभियान के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यः–

जल संरक्षण के अन्तर्गत रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज संरचनाऐं, प्रत्येक घर में परकोलेशन पिट, नगरीय क्षेत्र में प्रति 10 हैक्टेयर एक परकोलेशन पोन्ड आदि, नगरीय क्षेत्र में निर्मित विभिन्न जल संरचनाओं का सफाई कार्य, सतही जल का भण्डारण एवं वर्षा जल का भूमिगत संचयन, जलभृत का कृत्रिम पुनर्भरण (Artificial Recharge of Aquifer) (नलकूप, कुऐं, हैण्डपम्प), सडक पर बहने वाले वर्षा जल का कृत्रिम

पुनर्भरण, परम्परागत जल स्त्रोतो यथा बावडी, प्राचीन बावडी, मावठा, सागर, बांध आदि संरचनाओं का जीर्णोद्वार/नवीनीकरण/मरम्मत, सिवेज/औद्योगिक अवशेष प्रवाह/अन्य प्रकार के रिजेक्ट वाटर का पुनः चक्रण कर प्रयोग में लेना, शहर की स्थानीय आवश्यकता / प्राथमिकता अनुसार अन्य कार्य, जल संग्रहण ढांचों की क्षमता बढाना : मरम्मत एवं पुनरोद्धार /जीर्णोद्धार, कायाकल्प कर कियाशील करना, नालों से मिट्टी निकालकर गहरा एवं आवश्यकतानुरूप चौड़ा करना, पेयजल स्त्रोंतों को सुदृढीकरण करने के कार्य, कुंए एवं ट्यूबवैलों तथा कृत्रिम भूजल पुर्नभरण संरचनाओं के पुर्नजलभरण का कार्य, वृक्षारोपण एवं सिटी फोरेस्ट विकसित करना।

6. जिला कार्य योजना की स्वीकृति

नगरीय निकाय के बोर्ड/वार्ड सभा से अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार जिला कार्य योजना तय की जायेगी जिसका अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्मिलित गतिविधियों/कार्यो की प्राथमिकता का निर्धारण किया जायेगा।

जिला कलेक्टर इसके लिये नोडल अधिकारी होंगे व निकायवार दल का गठन कर आदेश जारी करेंगें जिसमें संबंधित विभागों के सभी अधिकारी होंगे। नगर कार्य योजना तैयार करने हेतु अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त की अध्यक्षता में नगर स्तरीय समिति का गठन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा जिसमें संबंधित विभागों के नगर स्तरीय अधिकारी व विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति कार्य योजना तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगी। कार्य योजना तैयार करते समय कराये जाने वाले कार्यों/गतिविधियों का अभियान समाप्ति के बाद संचालन, संरक्षण व अनुरक्षण करने वाले विभाग/एजेन्सी का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

7. परियोजना कियान्वयन ऐजेन्सी

समस्त संबंधित विभाग एवं अन्य हितग्राही परियोजना कियान्वयन एजेन्सी में शामिल होंगें जिनका विवरण निम्नानुसार है :

स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भू जल विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन/कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, देवस्थान विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आरयूआईडीपी (आरयूडीएसआईसीओ), एनआरएचएम राज्य सरकार के पंजीकृत जलदूत, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित स्वच्छता दूत, स्वयंसेवी संस्थाए, सहकारी संस्थाएं, जल एवं स्वच्छता समिति, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन(पंजीकृत), जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत विभाग/संस्था/संस्थान/ विशेषज्ञ।

8. प्रशासनिक / वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति

अनुमोदित जिला स्तरीय कार्य योजना में निर्धारित वरीयता अनुसार कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा जारी की जायेगी। कार्यवार तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभागों में प्रचलित तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसका जिला कलक्टर के निर्देशानुसार पृथक से रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

9. शहरों की वरीयता सूची तैयार करना

राज्य के 190 शहरों में "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से जल संरक्षण कार्यों को सम्पादित करने हेतु शहरों की प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी जो निम्न बिन्दुओं पर आधारित होंगी तथा निर्धारित अंक प्रणाली (Marking System) के अनुसार वरीयता के लिए तय बिन्दुओं/मापदण्डों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार उपलब्ध है:

- भूजल विभाग द्वारा भू जल उपलब्धता के क्रम में क्षेत्रवार किये गये वर्गीकरण के अनुसार चयन किये जाने वाले शहरों की प्राथमिकता निम्न क्रम में होगी:
  - अति दोहित (Over exploited) जोन — **15**
  - महत्वपूर्ण (Critical) जोन — 10
  - अर्द्ध महत्वपूर्ण (Semi Critical) जोन — 6
  - सुरक्षित (Safe) जोन — 4
- भूजल विभाग द्वारा क्षेत्रवार किये गये मानसून सर्वे के क्रम में औसत वर्षा के अनुसार चयन किये जाने वाले शहरों की प्राथमिकता निम्न क्रम में होगी:
  - न्यून (Deficit) — **10**
  - सामान्य (Normal) — 8
  - अधिक (Excesas) — 6
  - असामान्य (Abnormal) — 4
- जिन शहरों में सीवेज परिशोधन संयत्र (STP) कार्यरत/निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन हैं:
  - क्षमता >= 50 MLD — **10**
  - क्षमता >= 25 MLD — 8
  - क्षमता >= 10 MLD — 6
  - क्षमता < 10 MLD — 4

- जिन शहरों में जल स्त्रोत (Water Bodies) उपलब्ध हैं और उनका जीर्णोद्धार/नवीनीकरण/मरम्मत किया जा सकता है। 20
- जिन शहरों में पेयजल पीने योग्य नहीं हैं अथवा भूजल उपलब्ध नही है और पेयजल आपूर्ति का अन्तराल 120 घंटे से अधिक है। 15
- जिन शहरों में पेयजल पीने योग्य नहीं हैं अथवा भूजल उपलब्ध नही है और पेयजल आपूर्ति का अन्तराल 96 घंटे से अधिक है। 8
- जिन शहरों में पेयजल पीने योग्य नहीं हैं अथवा भूजल उपलब्ध नही है और पेयजल आपूर्ति का अन्तराल 72 घंटे से अधिक है। 6
- जिन शहरों में विगत वर्षो में लगातार टेंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति की गई हो।
  - विगत 3 वर्षों से लगातार टैंकरो द्वारा पेयजल आपूर्ति 15
  - विगत 2 वर्षों से लगातार टैंकरो द्वारा पेयजल आपूर्ति 10
  - विगत 1 वर्ष के दौरान टैंकरो द्वारा पेयजल आपूर्ति 5
- जिन शहरों का चयन भारत सरकार की अमृत योजना/समार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत हुआ हो। 15

उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित अंक प्रणाली (Marking System) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर शहरों की वरीयता निर्धारित की जायेगी । जिन शहरों को अधिकतम अंक मिलेंगे उन्हे प्रथम चरण में शामिल किया जायेगा। प्रथम चरण में 66 शहर लिए जायेंगे और एक जिले से अधिकतम 2 शहर लिए जा सकेंगे। शेष शहरों को आगामी दो वर्षों में शामिल किया जायेगा।

10. निधि की उपलब्धता

नगर कार्य योजना का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक कार्य का लागत अनुमान तैयार किया जायेगा। तत्पश्चात् यह गणना की जायेगी कि वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध निधियों से कितने कार्य पूर्ण हो सकते हैं एवं कितने अन्य कार्यो के लिए पृथक से राशि जुटाने की आवश्यकता होगी। गतिविधियॉ एवं योजनाएँ जिनमें बजट उपलब्ध हो सकता है का प्राथमिकतावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम गतिविधि	बजट की उपलब्धता	कार्यकारी संस्था	संबंधित विभाग जो इस कार्य में सहयोग करेंगे
1	राजकीय/राजकीय उपक्रमों के भवनों (छत क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर व अधिक है के लिए) पर रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण (रीचार्ज व हारवेस्टिंग संरचनायें) कार्य	सम्बन्धित विभाग का विभागीय बजट।	1. सार्वजनिक निर्माण विभाग 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NRHM) 3. आरयूआईडीपी (आरयूडीएसआईसीओ) 4. संबंधित विभाग	1. जन स्वा. अभि. विभाग 2. भू–जल विभाग

2	पुराने जल संग्रहण संरचनाओं (Bawaris etc.) का पुनरूद्धार/ कायाकल्प।	जल संसाधन विभाग की योजनाएं, राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि वाटर सेस, नगरीय निकाय की योजनायें(स्वच्छ भारत मिशन व शहरी जन सहभागिता योजना सहित) स्वयंसेवी संस्थाओं, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	1. जल संसाधन विभाग 2. जन स्वा. अभि. विभाग, 3. नगरीय विकास विभाग 4. स्वायत्त शासन विभाग 5. अन्य संबंधित विभाग जिसके पास जल संरचना का स्वामित्व है।	1. जल संसाधन विभाग 2. जन स्वा. अभि. विभाग 3. भूजल विभाग
3	नगरीय क्षेत्र में प्रति दस हैक्टेयर क्षेत्र में परकोलेशन पौण्ड का आवश्यकतानुसार निर्माण	राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, वाटर सेस, नगरीय निकाय की योजनायें (शहरी जन सहभागिता योजना सहित), नगरीय निकाय की निजी आय एवं प्राप्त अनुदान, नगरीय विकास विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनायें ।	1. नगरीय विकास विभाग 2. स्वायत्त शासन विभाग 3. सार्वजनिक निर्माण विभाग 4. संबंधित विभाग	1. जल संसाधन विभाग 2. भू जल विभाग
4	वृक्षारोपण एवं सिटी फोरेस्ट का कार्य	वन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, नगरीय निकायों की निजी आय एवं प्राप्त अनुदान, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	1. वन विभाग 2. नगरीय विकास विभाग 3. स्वायत्त शासन विभाग 4. उद्योग विभाग 5. संबंधित विभाग	1. वन विभाग
5	नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक आवास में परकोलेशन पिट का निर्माण	निजी भूखण्ड/भवनों में परकोलेशन पिट निर्माण सुनिश्चित करने हेतु आईईसी गतिविधियाँ आयोजित कर नागरिकों को प्रेरित किया जायेगा।	1. भू–स्वामी स्वयं 2 अन्य कोई संस्था यदि आवश्यक हो तो	1. नगरीय विकास विभाग 2. स्वायत्त शासन विभाग

6	नगर के निजी आवासीय भवनों पर रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण (रीचार्ज व हारवेस्टिंग संरचनायें) कार्य	निजी भूखण्ड/भवनों में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु : 1. आईईसी गतिविधियाँ आयोजित की जायेगी। 2. सम्बन्धित एजेन्सी यथा विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास / नगरीय निकाय / अन्य एजेन्सी द्वारा कानूनी प्रावधानों (राज. मुनिसिपल एक्ट 2009 व संसोधन एक्ट 2010 सहित) के अन्तर्गत अनिवार्य कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।	1.भू स्वामी 2.अन्य कोई संस्था यदि आवश्यक हो तो	1. जन स्वा. अभि. विभाग 2. स्वायत्त शासन विभाग 3. भू–जल विभाग 4. नगरीय विकास विभाग
7	कृत्रिम भूजल पुर्नभरण संरचनाओं का निर्माण	जल संसाधन, भूजल व केन्द्रीय जल संसाधन विभाग, नगरीय निकाय की योजनायें (स्वच्छ भारत मिशन सहित) द्वारा संचालित योजनाएं, सीएसआर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन।	1. भूजल विभाग, 2. नगरीय विकास विभाग 3. स्वायत्त शासन विभाग, 4. जल संसाधन विभाग	1. भूजल विभाग
8	पेयजल स्त्रोंतों को सुदृढीकरण करने के कार्य।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरीय विकास विभाग का विभागीय बजट एवं नगरीय निकाय की निजी आय एवं प्राप्त अनुदान।	1. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, 2. नगरीय विकास विभाग 3. स्वायत्त शासन विभाग	1. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग 2. भूजल विभाग 3.
9	शहर के तालाबों, प्राचीन जलाशयों, पानी के टेंकों, परकोलेशन टेंकों आदि जल संग्रहण संरचनाओं से मिट्टी हटाने/गहरा करने का कार्य।	राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि,वाटर सेस, नगरीय निकाय की योजनायें (स्वच्छ भारत मिशन व शहरी जन सहभागिता योजना सहित) निकाय की निजी आय एवं प्राप्त अनुदान, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ।	1. जल संसाधन विभाग 2. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग 3. नगरीय विकास विभाग 4. स्वा.शा. विभाग 5. पर्यटन विभाग	1. जल संसाधन विभाग 2. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग

10	सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाह/रिजेक्ट वाटर को रिसाइकिल कर पुनः प्रयोग में लेने का कार्य।	राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, पर्यावरणीय सेस, नगरीय निकाय की निजी आय एवं प्राप्त अनुदान, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	1. नगरीय विकास विभाग 2. स्वायत्त शासन विभाग 3. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग 4. उद्योग विभाग	1. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग 2. भू जल विभाग
11	स्टोर्म रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण	राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, नगरीय निकाय की निजी आय एवं प्राप्त अनुदान, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	1. नगरीय विकास विभाग 2. स्वायत्त शासन विभाग 3. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग 4. उद्योग विभाग 5. अन्य सम्बन्धित विभाग	1. जल संसाधन विभाग 2. जन स्वा. अभि. विभाग 3. भूजल विभाग

- उपरोक्त बजट प्रावधान एवं कार्यकारी संस्थाएं उदाहरणार्थ हैं : जिला कलक्टर के स्तर पर योजना के कार्यकारी विभागों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिले की कार्य योजना बनाये जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन बावड़ियों व अन्य जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण/मरम्मत मय संधारण व रख–रखाव हेतु इन्हें इच्छुक कॉरपोरेट/ क्लब/उद्योग/अन्य संस्था को जिला कलक्टर के स्तर पर गोद दिया जा सकता है।
- नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कियान्वयन में स्वायत्त शासन विभाग नोडल विभाग होगा।
- अभियान की समाप्ति के पश्चात जल स्त्रोंतो के रख रखाव एवं संधारण का दायित्व स्वायत्त शासन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अथवा निजी समूह/गैर सरकारी संगठन का होगा।
- "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) की मोनिटरिंग का कार्य जीआईएस तकनीक के द्वारा रियल टाईम बेसिस पर किया जायेगा। इस हेतु सभी जल संरक्षण कार्यो के अक्षांश एवं देशान्तर मय फोटोग्राफ स्मार्ट मोबाईल फोन आधारित वेब ऐप्लीकेशन से रियल टाईम बेसिस पर अपलोड किये जायेंगे।
- अन्य सूचनाऐं जैसे नगर कार्य योजना, बेस लाईन सर्वे, कार्य की लागत व्यय राशि, वर्तमान स्थिति, कार्यकारी संस्था एवं विभाग, एवं प्रगति रिपोर्ट आदि भी वैबसाईट पर अपलोड की जायेगी। यह कार्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के सहयोग से किया जावेगा। "मुख्यंमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) हेतु एक अलग वैबसाईट स्थापित की जावेगी। जिस पर कार्यो की ऑनलाईन मोनिटरिंग की जावेगी।
- समस्त कार्यो एवं नगरों में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार प्रगति प्रतिवेदन नोडल विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले एमआईएस सिस्टम में नगर/जिला स्तर से सूचनाएं प्राप्त

की जाकर जिला स्तर पर संकलन किया जायेगा एवं एमजेएसए (नगरीय) की नई वेबसाइट प्रभावी होने तक उक्त सूचनायें स्वायत्त शासन विभाग की वर्तमान वेबसाइट पर संधारित की जायेंगी।

- निजी भूखण्ड/भवनों में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु :
  - आईईसी गतिविधियाँ आयोजित की जायेगी।
  - सम्बन्धित एजेन्सी यथा विकास प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास / नगरीय निकाय / अन्य एजेन्सी द्वारा कानूनी प्रावधानों (राज.मुनिसिपल एक्ट 2009 व संसोधन एक्ट 2010 सहित) के अन्तर्गत अनिवार्य कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उक्त की पालना सभी वाणिज्यिक/संस्थानिक /औद्योगिक भवनों (सिनेमा हॉल, शोपिंग मॉल्स, मल्टिप्लेक्स,कोचिंग इन्सटीट्यूट, निजी शिक्षण संस्थाएँ, निजी नर्सिंग होम व अस्पताल आदि सहित) पर प्रथम वर्ष में ही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावेगी।

11. अभियान संचालन हेतु जिला कलक्टर को विशिष्ट अधिकार

नगरीय क्षेत्र में "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" हेतु जिला कलक्टर को निम्नलिखित अधिकार होंगे :

- जिले में "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) हेतु जिला कार्य योजना तैयार करना, कियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न योजनाओं में कनवरजेन्स के अधिकार।
- कियान्वयन हेतु समितियों का गठन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भू संरक्षण विशेषज्ञों का चयन का अधिकार।
- वित्त पोषण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं, सीएसआर, अप्रवासी नागरिक एवं अन्य भामाशाहों से मशीन, मानव, धन आदि की व्यवस्था का अधिकार।
- जिले में पदस्थापित कार्मिकों/अधिकारियों को मिशन से संबंधित कार्य आवंटन का मुक्तहस्त अधिकार व आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार।
- प्रशासनिक/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने हेतु सक्षम अधिकार।
- अग्रिम वित्तीय व्यवस्था, समायोजन हेतु लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों आदि को कार्य सम्पादन के निर्देश देने की शक्तियॉ प्रदान करना।
- मिशन हेतु मानव, मशीन, मेंटेरियल की निविदाओं को स्वीकृत करने के समस्त अधिकार।
- जिले में जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण/मरम्मत कार्य हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कोर समूह का गठन किया जायेगा जिसमें स्वायत्त शासन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

12. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) के लिये योजना तैयार करने हेतु आवश्यक बिन्दु :

1. मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (नगरीय) हेतु स्वायत्त शासन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।
2. नगरवासियों के साथ जल संरक्षण मिशन पर दल द्वारा चर्चा।
3. शहर में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन (विशेष रूप से जल), सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण।
4. नगरवासियों के साथ चर्चा कर सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों को सम्मिलित करते हुए नगर कार्य योजना तैयार करना।
5. नगरवासियों की उपस्थिति में जिला कलेक्टर/उनके प्रतिनिधि के समक्ष दल द्वारा नगर कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण करना।
6. नगर कार्य योजना स्वीकृति हेतु विशेष वार्डसभा/बोर्ड मिटिंग का आयोजन करना। प्रत्येक वार्डसभा/बोर्ड मिटिंग में जिला स्तरीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि का आवश्यक रूप से भाग लेना।
7. नगरवार प्राप्त योजनाओं का संकलन कर जिला स्तर की योजना तैयार करना।
8. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) का जिला स्तरीय समिति द्वारा प्लान का अनुमोदन करना।
9. प्राप्त योजनाओं के अनुसार कार्यो की स्वीकृतियॉ जारी करवाना।
10. स्वीकृति अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा कार्य प्रारंभ करवाना।
11. प्रभारी मंत्री, समस्त विधायक एवं जिला प्रमुख एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जिला स्तर पर समारोहपूर्वक जिले का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

13. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) की जिला कार्य योजना तैयार करना

1. नगर कार्य योजना वार्ड सभा तथा बोर्ड मिटिंग में नगर की कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा तैयार कर नगर स्तरीय (City Level) कमेंटी को प्रस्तुत की जावेगी।
2. स्थानीय नगरीय निकाय के अध्यक्ष/सभापति/मेंयर की अध्यक्षता में गठित नगर स्तरीय कमेंटी द्वारा परीक्षण कर अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त के माध्यम से जिला स्तर पर प्रस्तुत की जावेगी।
3. जिला कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृतियॉ जारी कर संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी कर निर्धारित समय में प्रस्तुत की जावेगी।
4. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा 15 दिवस में वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्यकारी ऐजेन्सी को तुरंत प्रभाव से कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

5. जिला कलेक्टर द्वारा नगरवार/वार्डवार अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी जो न्यूनतम राजपत्रित स्तर के अधिकारी होंगे। समय पर निष्पादन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु प्रभारी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

14. सीएसआर/एनजीओ/ट्रस्ट आदि की भागीदारी

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) अंतर्गत सीएसआर के तहत सामाजिक सरोकार के कार्यो के कियान्वयन हेतु कॉर्पोरेट जगत, गैर सरकारी संस्थाओं, धार्मिक–सामाजिक ट्रस्टों, वैयक्तिैयिक समूहों, जन–सहयोग आदि से समस्त संभव सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त की जायेगी।

1. सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थाएँ, जनभागीदारी, अप्रवासी नागरिक आदि जिला कलक्टर के पास उपलब्ध कार्यो की सूची में से परियोजना/कार्यो का उनकी सुविधा/रूचि अनुसार चयन करने को स्वतंत्र होंगे।
2. जिला कार्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूची स्वायत्त शासन विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।
3. सीएसआर अंतर्गत कॉर्पोरेट जगत/गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट आदि को स्वतन्त्रता होगी कि जिला कार्य योजना के अंतर्गत जिला कलक्टर द्वारा बनाये गये नियमों एवं निर्देशानुसार किसी नगर विशेष की पूर्ण कार्य योजना अथवा कार्य योजना की विशिष्ट गतिविधि/गतिविधियों और उसके कार्यो को गोद ले सकेंगें और विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन में स्वयं अपने स्तर से कार्य करा सकेगें।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त कॉर्पोरेट जगत नगर कार्य योजना में वित्तीय कमी (Gaps) हेतु प्रस्तावित कार्यो के लिए धन एवं संसाधन उपलब्ध करा सकेगें।
   जिला कलक्टर का दायित्व होगा कि वह जिला कार्य योजना के अंतर्गत अनुमत सभी कार्यो के तकमीनें मय प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ कार्यो के उददेश्य, लक्षित उपलब्धि एवं लाभान्वितों की सूची तैयार रखेगें जिससे सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थाएँ, जनभागीदारी, अप्रवासी नागरिक आदि को आर्थिक सहयोग एवं उनकी भागीदारी हेतु उपलब्ध कराई जा सके।

- सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थाएँ, जनभागीदारी, अप्रवासी नागरिक आदि उनके द्वारा चयनित एवं वित्त पोषित कार्यो के निष्पादन या पर्यवेक्षण (या दोनों) हेतु किसी शहर/कार्य विशेष को गोद लेकर अपने स्तर पर करा सकेंगे अथवा आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराकर अपने संसाधनों से कार्य करा सकेंगे ।
- आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में सीएसआर अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग के लिए पृथक से गठित प्रकोष्ठ "जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन का कार्य संचालित कर रहा है" द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन (नगरीय) का भी कार्य सम्पादित किया जायेगा। इस प्रकोष्ठ में उक्त क्षेत्र में दक्ष 2–3 व्यक्तियों को नामित भी किया जा सकेगा। उक्त प्रकोष्ठ जल संरक्षण मिशन को समय–समय पर नवीनतम प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
  सीएसआर अंतर्गत उपलब्ध राशि के उपयोग के लिए आयुक्त, उद्योग द्वारा नीतिगत निर्णय लेकर पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

15. कार्य सम्पादन

कार्य सम्पादन के समय आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग आवश्यकतानुरूप आदेश जारी करेंगें यथा :–

कॉर्पोरेट/गैर सरकारी संस्थाएं/ट्रस्ट/ वैयक्तिैयिक समूह कार्यो के कियान्वयन हेतु जन सहयोग के रूप में मशीन आदि उपलब्ध कराते हैं तो उसके लिए कलेक्टर द्वारा कार्यो की मात्रा का आंकलन कर मशीनों को सूचीबद्ध करते हुए डीजल एवं ऑयल के लिए स्वीकृति जारी की सकेगी।

16. योजना के प्रचार–प्रसार (आईईसी) की गतिविधियां

योजना के प्रचार–प्रसार के लिये सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तरदायी रहेगा। इसके लिये नगरीय निकायों में चल रही अन्य योजनायें यथा अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, एनयूएलएम आदि में प्राप्त निधियों एवं वर्णित प्रावधानों के अनुसार योजना के प्रचार प्रसार के लिए बजट उपलब्ध कराया जा सकेगा। राज्य स्तरीय प्रचार–प्रसार प्लान (आईईसी गतिविधियों) में निम्न गतिविधियां शामिल की जा सकेंगी'–

- नुक्कड़/कठपुतली नाटक/लघु फिल्म ।
- जल पद यात्राएं।
- नगर स्तर (सिटी लेवल) पर स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित स्वच्छता दूत पूर्ण शहर अथवा वार्ड में महत्वपूर्ण योगदान दे सकतें है।
- धार्मिक संत एवं गुरूओं को जोड़ते हुए संदेश प्रसारित करना।
- प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न मीडिया तन्त्र यथा एफएम, केबल, दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन।
- सोसल मिडिया एवं अन्य संचार/तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए राज्य के जन साधारण, राज्य के प्रवासी तथा वे शहरी प्रबुद्धजन (अप्रवासी नागरिक) जो अन्य जिलों/राज्यों में व्यापार/अन्य गतिविधियों आदि में कार्यरत हैं, उन्हें इस मिशन की जानकारी देकर जल संरक्षण के कार्यो के सम्पादन हेतु धन लगाने के लिए प्रेरित करना।

16.1 अभियान हेतु प्रशिक्षण

- राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला ।
- संभाग स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला।
- जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला।
- नगर स्तरीय (City Level) आमुखीकरण कार्यशाला।
- सीएसआर हेतु उद्योगपतियों, एनआरआई, अप्रवासी नागरिक, गैर सरकारी संगठनों आदि का आमुखीकरण।
- जेसीबी, पोंकलेण्ड, ट्रेक्टर एवं अन्य मिट्टी हटाने की मशीन मालिको का आमुखीकरण।

17. उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समायोजन

जिला कलेक्टर विभागीय दिशा– निर्देशों के अनुरूप समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन करते हुए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

18. सफलता के सूचकांक

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" (नगरीय) अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु प्रमुख सूचकांक निम्नानुसार है :–

- पेयजल सेवास्तर एवं गुणवत्ता में वृद्धि (जन स्वा.अभि. एवं स्वायत्त शासन/नगरीय विकास विभाग)।
- पुनः चक्रित जल (recycled water) एवं इसके उपयोग में वृद्धि (जन स्वा.अभि. एवं स्वायत्त शासन/नगरीय विकास विभाग)।
- नगर में बाह्य जल स्त्रोतों से जलापूर्ति में कमी आना (जन स्वास्थ्य अभि. एवं स्वायत्त शासन /नगरीय विकास विभाग)।
- टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन में कमी आना (जन स्वा.अभि. एवं स्वायत्त शासन/नगरीय विकास विभाग)।
- नगरीय क्षेत्र के हरित क्षेत्र में वृद्धिल (स्वायत्त शासन/नगरीय विकास/वन/उद्योग विभाग)।
- वृक्षारोपण एवं सिटी फोरेस्ट का विकास एवं वृद्धि (वन एवं स्वायत्त शासन/नगरीय विकास विभाग)।
- भूगर्भीय जल की उपलब्धता व गुणवत्ता में सुधार (जन स्वास्थ्य अभि. एवं भू जल विभाग)।
- शहर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि आना (पर्यटन एवं स्वायतत शासन /नगरीय विकास विभाग)।
- नगरीय सीमा में क्रियाशील औद्योगिक ईकाईयों में वृद्धि आना (उद्योग विभाग)।
- शहर में ग्रीन बिल्डिंग्स की संख्या में वृद्धि होना (जन स्वा.अभि. एवं स्वायत्त शासन / नगरीय विकास विभाग)।
- गैर राजस्व पेयजल (NRW) का आंकलन (जन स्वा.अभि./स्वायत्त शासन विभाग)।

चयनित क्षेत्रों के परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु संलग्न परिशिष्ठों के अनुसार सूचनायें संकलित कर उपयोग में लाई जावेंगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) एक समयबद्ध अभियान है एवं विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित कर समयबद्ध कार्य योजना संलग्न की जा रही है।

उक्त अभियान हेतु कार्य सम्पादन निर्धारित समय सीमा का अनुपालन किया जावे एवं उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी कार्य समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जावे।

(ओ.पी.मीना)
मुख्य सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/16/ 28203-715 दिनांक: 07/9/16

प्रतिलिपि निम्न को :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री राजस्व मंत्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जनजाति क्षेंत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. विशिष्ठ सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण जयपुर।
19. निजी सचिव, माननीय सांसद राजस्थान (समस्त)
20. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा (समस्त)
21. वरिष्ठ उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर।
22. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
23. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
25. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि उद्यान एवं पशुपालन विभाग
27. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग
28. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग
29. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
30. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
31. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान
32. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गौ पालन विभाग
33. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
34. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग

35. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग
36. निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग
37. संभागीय आयुक्त (समस्त)
38. निदेशक, सूचनाएवं जन सम्पर्क विभाग
39. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर
40. निदेशक, सांख्यिकी विभाग, जयपुर
41. जिला कलक्टर (समस्त)
42. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त) स्वायत्त शासन विभाग
43. आयुक्त, नगर निगम/परिषद् (समस्त)
44. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, (समस्त)
45. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
46. गार्ड फाईल

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
7/9/16

Action Plan(Time Line) for MJSA Urban Area

S.No	Activity	Timeline
1.	Preparation and issuance of guidelines	7th September, 2016
2.	VC with District Collectors and Officers	8th September 2016
3.	Preparation & issuance of technical guidelines for DPR and Selection of Cities	16th September, 2016
4.	Preparation and issuance of IEC and training manual	19th September, 2016
5.	Workshop for orientation of municipal commissioner/executive officer/Chairman/ President/ Mayor at Jaipur	19th September, 2016
6.	Training of Trainers of officers of all line departments at state level at Jaipur	20th September, 2016
7.	Preparation of Model DPR	16th to 22nd September, 2016
8.	Training of officers of all line departments at district level	22nd September, 2016
9.	Orientation of Public Representative i.e. MP/ MLA/Mayor/President/Chairman at Jaipur	22nd September, 2016
10.	IEC activities	From 10th September, 2016 and onwards
11.	Preparation of GIS map of project area	By 15th September, 2016
12.	Survey and Preparation for DPR	25th September - 10th October, 2016
13.	Construction of web-site, mobile app, MIS	1st August - 10th October, 2016
14.	Training of Project Implementing Agency (PIA) on web-site, mobile app and MIS	30th October, 2016
15.	Vetting and approval of DPR	Up to 15th October, 2016
16.	Uploading of DPR on website	11th October - 15th October, 2016
17.	Workshop for corporate sector/religious groups & trusts/social groups/NGO/traders association etc.	15th October - 30th October, 2016
18.	Issuance of TS, AS&FS, Tender Publication	By 10th November, 2016
19.	Finalization of tenders and issuance of work order	By 10th November, 2016
20.	Launching of campaign and commencement of work in selected cities	16th November, 2016
21.	Completion of Ist years works	15th May, 2017
22.	Review of works	1st June, 2017
23.	Completion of plantation of work	15th August, 2017

LIST OF SELECTED CITIES FOR THE YEAR 2016-17

1.	Ajmer
2.	Kishangarh
3.	Alwar
4.	Bhiwadi
5.	Banswara
6.	Kushalgarh
7.	Baran
8.	Chhabra
9.	Balotara
10.	Barmer
11.	Bharatpur
12.	Deeg
13.	Bhilwara
14.	Gangapur
15.	Bikaner
16.	Dungarhgarh
17.	Bundi
18.	Keshoraipatan
19.	Chittorgarh
20.	Nimbaheda
21.	Tara Nagar
22.	Churu
23.	Dausa
24.	Bandikui
25.	Dholpur
26.	Badi
27.	Dungarpur
28.	Sagwada
29.	Hanumangarh
30.	Pilibanga
31.	Jaipur
32.	Virat Nagar
33.	Jaisalmer
34.	Pokran

35.	Jalore
36.	Bhinmal
37.	Jhalawar
38.	Jhalarapatan
39.	Jhunjhunu
40.	Khetri
41.	Jodhpur
42.	Phalodi
43.	Hindaun
44.	Karauli
45.	Kota
46.	Kaithun
47.	Nagaur
48.	Makrana
49.	Pali
50.	Sumerpur
51.	Pratapgarh
52.	Chhoti Sadari
53.	Rajsamand
54.	Nathdwara
55.	Gangapur City
56.	Sawai Madhopur
57.	Sikar
58.	Khandela
59.	Sirohi
60.	Abu Road
61.	Suratgarh
62.	Sri Ganganagar
63.	Tonk
64.	Deoli
65.	Udaipur
66.	Fatehnagar